(b) if so, what are the names of the items and quantity of Kerosene reduced in quota (State-wise details) stating the reasons therefor;

(c) whether Government are considering to increase the quota of reduced items again; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor stating its overall impact/effect on consumers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (d) Allocation of essential commodities for distribution through Public Distribution System (PDS) is made every month taking into account the demand received from the States, stocks available in Central Pool, seasonal factors etc. Some State Governments have sought uniform monthly allocation of Superior Kerosene Oil (SKO)throughout the year and some other States/UTs have requested for block-wise allocations, the allocations of which will vary depending on the blocks namely, summer block (March June), monsoon block (July—October) and winter block (November—February)—States opting for block allocations get varying monthly allocations during different block periods. In the case of Rajasthan, the allocation of foodgrains is based on the request of the State Government for rescheduling the monthly allocations to the State without reducing the annual allocations to the State. Allocations of PDS commodities are supplemental in nature and are not intended to meet the total requirement of any State/UT. The Central Government has not reduced the allocation of PDS commodities to any State/UT for the month of June, 1994 over the previous months' levels.

अखिल भारतीय वैधानिक माप-तोल सम्मेलन

7314. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :
श्री दिग्विजय सिंह :

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में एक अखिल भारतीय वैधानिक माप-तोल सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन की विषय वस्तु एव उद्देश्य क्या था और उसमें सरकार ने क्या निर्णय लिया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार पैकेट बन्द वस्तु अधिनियमों में एक बड़ा परिवर्तन करना चाहती है या करने पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है तथा पैकेट बन्द वस्तु अधिनियमों में परिवर्तन का देश के उपभोक्ताओं के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : : (क) बाट तथा माप संबंधी 25वा सम्मेलन, जो एक वैधानिक निकाय नहीं है, नई दिल्ली में 16–17 मई, 1994 को आयोजित हुआ था ।

(ख) सम्मेलन में मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, ताकि आर्थिक उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप होने वाली तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा साथ ही उन्हें उपभोक्ता सरोकार के दृष्टिकोण से अधिक कारगर बनाया जा सके । सम्मेलन में की कुछ मुख्य सिफारिशें विवरण में दी गई हैं। (नीचे देखिए)

(ग)और(घ) बाट तथा मापमानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के मानक पैक आकार से संबंधित उपबंधों की उदारीकरण के संदर्भ में समीक्षा की जा रही है ।

विवरण

नई दिल्ली म 16-17 जून 1994 को आयोजित बाट तथा माप संबंधी 25वें सम्मेलन में की गई कुछ मुख्य सिफारिशें :

सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि :

1. वाणिज्यिक सौदों तथा मानक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाने वाले तोलने और मापने वाले क्षेत्रों पर कानूनी नियंत्रण लागू किया जाना चाहिए ।

2. कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के प्रवर्तन तंत्र को कर्मचारियों, उपकरण इत्यादि के रूप में उपयुक्त रूप से मजबूत किया जाना चाहिए ।

3. विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस देने की प्रणाली सुप्रवाही बनाई जानी चाहिए तथा संयुक्त लाइसेंस जारी करने की संभावना की जाच की जानी चाहिए ताकि एक राज्य में जारी लाइसेंस दूसरे राज्यों में वैध हो ।

4. बाटों तथा मापों के उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण की प्रणाली समाप्त कर दी जानी चाहिए ।

5. मरम्मत करने वालों के लिए लाइसेंस की प्रणाली समाप्त कर दी जानी चाहिए ।

6. कम तोलने के संबंध में दांडिक उपबंधों को अधिक निवारक बनाया जाना चाहिए ताकि इस चलन को रोका जा सके ।

7. नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के संदर्भ में पैक आकारों के मानकीकरण से संबंधित कानूनों उपबंधों की जाच की जानी चाहिए ।

Complaint against Super Bazar officials and Control Room Staff

7315. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) how many cases of corruption, misappropriation of funds, misuse of official machinery, other irregularities and violation of rules among Super Bazar officials and Controlroom Staff were detected since the present Executive (Vigilance) took-over;

(b) the details of each case;

(c) how many officials were since suspended;

(d) how many officials were dismissed/removed/discharged/transferred from Super Bazar during this period giving details of each case; and

(e) what measures/steps are being taken to revamp Super Bazar Vigilance division ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) Super Bazar has reported that two cases were detected since the present Chief Vigilance Officer took over with effect from 31-3-1994.

(b) In one case of insubordination and disobedience, warning has been issued to an Assistant Accountant; in another case for alleged misappropriation of funds in a mini branch, the Incharge of the Branch has been placed under suspension and major penalty proceedings ordered against him.

(c) One.

(d) Nil.